

संशोधित नियमावली

- 1- संस्था का नाम : एस0 पी0 एजुकेशनल सोसायटी।
 2- संस्था का पूरा पता : धनौरा रोड, चांदपुर,
 जिला- बिजनौर।
 3- संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे।
 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग-
 आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 1900/-रु0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।
 विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 1800/- रुपये या इतने मूल्य की सम्पत्ति प्रतिवर्ष देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।
 साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 100/-रु0 प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।



6- सदस्यता की समाप्ति -

- 1- सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
- 2- सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- 3- सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
- 4- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- 5- न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7- संस्था के अंग-

- अ- साधारण सभा।
- ब- प्रबन्धकारिणी संस्था के अंग होंगे।

8- साधारण सभा -

1. गठन- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।
2. बैठक- साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति वर्ष में तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
3. सूचनावधि- साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।
4. गणपूर्ति - साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।
5. साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार -
 1- वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
 2- वार्षिक बजट पास करना।

Chand B...
 राज...
 M...
 Manoj Kumar

हरद्वार इन्स्टीट्यूट

मानव संसाधन
 एवं सामाजिक सेवा विभाग
 एन.ए. रोड, हरद्वार

9. प्रबन्धकारिणी समिति -



Manoj Kumar
Rohit R.
स.पू. व.स.स.
Ajay

- 1- गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।
- 2- बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रतिमाह तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
- 3- सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम- कुल संख्या का 2/3 कोरम प्रयाप्त होगा।
- 5- रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यों द्वारा की जायेगी।
- 6- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार-तथा कर्तव्य-
 1. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
 2. वार्षिक बजट तैयार करना।
 3. वार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
 4. संस्था हेतु दान - अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
- 7- विश्वविद्यालय परिनियमावली के 11.05 का समावेश महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के संविधान में (बायलाज) में कर लिया गया है जो निम्नवत है :-
 - क. महाविद्यालय का प्रचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा।
 - ख. प्रबन्ध तंत्र के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक होंगे जिसमें प्रचार्य भी है।
 - ग. प्रबन्ध तंत्र का एक सदस्य तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में से होगा।
 - घ. अध्यापक (खण्ड ख) में निदिष्ट प्रचार्य को छोड़कर ज्येष्ठता कम में, चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्य है।
 - ड. प्रबन्ध तन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर का कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता कम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

स.पू. व.स.स.

3
प्रचार्य
स.पू. व.स.स.
स.पू. व.स.स.

च. खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध तन्त्र कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे।

छ. उक्त संविधान में कुलपति को पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

ज. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्ध तन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं या प्रबन्ध तन्त्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

३. महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसायटी के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिए तैयार है।

ट. परिनिियम 11.06 में निदिष्ट विन्यास निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

: प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा।

कार्यकाल -

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य -

अध्यक्ष

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

उपाध्यक्ष -

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक

1. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
2. संस्था के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. संस्था का पत्र व्यवहार करना।
5. संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।

श्री १५५५

७
२

उपप्रबन्धक

:- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वहन करना तथा प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष

1. आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना।
3. संस्था के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

11. नियमों में परिवर्तन

: संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था का कोष

: संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन किया जायेगा।

13. लेखा परीक्षण

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडीटर से प्रति वर्ष कराया जायेगा।

14. अदालती कार्यवाही

संस्था के समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

15. अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेंडा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

16. विघटन

: संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि. एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Nancy Kumar

सत्यप्रतिलिपि

John B.

Nij

सत्यप्रतिलिपि

3
सत्यप्रतिलिपि
सत्यप्रतिलिपि
3/3/06

**संस्था एस0पी0 एजूकेशनल सोसायटी, धनौरा रोड, चॉदपुर जिला
बिजनौर की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2014-2015**

क्र0सं0	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	संदीप कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रकाश बंसल	धनौरा रोड, चॉदपुर जिला बिजनौर	अध्यक्ष	व्यापार
2.	अजय बंसल पुत्र श्री विनोद बंसल	धनौरा रोड, चॉदपुर जिला बिजनौर	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	राहुल बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रकाश बंसल	धनौरा रोड, चॉदपुर जिला बिजनौर	प्रबन्धक	व्यापार
4.	मनोज बंसल पुत्र श्री दिवेन्द्र प्रकाश	मौहल्ला बाजार ढाली चॉदपुर जिला बिजनौर	उपप्रबन्धक	व्यापार
5.	श्रीमती संजु बंसल पत्नी श्री संदीप कुमार	धनौरा रोड, चॉदपुर जिला बिजनौर	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	आकांक्षा बंसल पुत्री श्री जगमोहन सरन	मौह0 साहूवान चॉदपुर जिला बिजनौर	सदस्य	गृहणी
7.	शुभम् बंसल, पुत्र श्री संदीप कुमार	धनौरा रोड, चॉदपुर जिला बिजनौर	सदस्य	व्यापार
8.	नमीता रानी पत्नी श्री संजय सिंघल	मौह-ठेर, सम्मल जिला मुरादाबाद	सदस्य	गृहणी
9.	कौशल देवी बंसल पुत्री श्री सुखदेव प्रसाद	द्वारा आशाराम अनुप कुमार, मेन बाजार भण्डावर जिला बिजनौर।	सदस्य	गृहणी